न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 190/2021

1. भगवन्ती, मुनीराम, रूपाराम, रामकिशन, लक्ष्मण, लक्ष्मी, लिछमा, शिवरतन, हनुमानाराम, हीरा पि0 नरसीराम बिश्नोई निवाी 1 एसएसएम तहः खाजूवाला।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–30.01.2023

यह वादीगण/प्रार्थीगण का वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 1 एसएसएम द्वितीय बी मु0नं0 158/29 व 60 में 10.8745 व मु0नं0 198/59 में 3.5406 है0 कमाण्ड भूमि है जिसमें प्रार्थीया का नाम भगवंती की भागवंती दर्ज हो गया व प्रार्थी हनुमान की जगह हनुमानाराम दर्ज हो गया व मुन्नीराम की जगह मुन्शीराम तथा लक्ष्मी व लिछमा दो अलग–अलग वारिस है बल्कि जमाबंदी में दो वारिसों का एक ही नाम लक्ष्मी उर्फ वस्तु लिछमा अंकित हो गया है जिसे दुरस्त करवाना चाहता है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरस्ती करने के आदेश फरमावें।

सर्वप्रथम वादपत्र/प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार भागवन्ती, मुन्नीराम, रूपाराम, रामकिशन, लक्ष्मण, लक्ष्मी उर्फ वस्तु, लिछमा, शिवरतन, हनुमान, हीरा, पि0 नानूदेवी पत्नी नरसीराम जाति बिश्नोई निवासी 1 एसएसएम द्वितीय ए तहः खाजूवाला खातेदार ब0हि0ब0 चक 1 एसएसम द्वितीय बी मु0नं0 158/29 किला नं0 1 ता 23 की 5.6902 है0 कमाण्ड व मु0नं0 158/60 किला नं0 1 ता 3, 8 ता 25 की 5.1844 है0 क0/अ0क0 कुल रकबा 10.8746 है0 कमाण्ड/अ0क0 मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। इन्तकाल सं0 109 दिनाक 09.07.2015 विरासतन मुताबिक प्रार्थी हनुमान, शिवरतन, रूपाराम, मुन्नीराम, रामकिशन, लक्ष्मण, लक्ष्मी उर्फ वस्तु, लिछमा, हीरा, भागवन्ती पि0 स्व0 माता नानूदेवी जाति बिश्नोई निवासी 1 एसएसएम द्वितीय ए तहः खाजूवाला खातेदार ब0हि0ब0 रहन एसबीबीजे शाखा खाजूवाला मु0नं0 158/29 किला नं0 1 ता 23 की 5.6902 है0 क0 व मु0नं0 158/60 किला नं0 1 ता 3, 8 ता 25 की 5.1844 है0 कमाण्ड/अ0क0 दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत काकड़ा द्वारा जारी वारिस प्रमाणपत्र दिनाक 01.07.2015 के अनुसार प्रार्थी का नाम हनुमानाराम, शिवरतन, रूपाराम, मुन्नीराम, रामकिशन, लक्ष्मण, लक्ष्मी उर्फ वस्तु, लिछमा, हीरा, भगवन्ती नाम दर्ज है। ई0नं0 109 विरासतन के अनुसार ऑफलाइन जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में ऑनलाईन करते समय प्रार्थीया लक्ष्मी उर्फ वस्तु, लिछमा पुत्री नानूदेवी की जगह लक्ष्मी उर्फ वस्तु लिछमा सहवन से गलत दर्ज हो गया है बाकि खाता बदस्तूर है। वादीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र/वादपत्र को साबित करने के पक्ष में दस्तावेज शपथपत्र, ग्रामपंचायत तस्दीक, खातेदारी सनद, नामान्तरण इत्यादि प्रस्तुत की। जिनके अनुसार प्रार्थी हनुमान की जगह हनुमानाराम, मुन्शीराम की जगह मनीराम, भागवंती की भगवंती, लक्ष्मी उर्फ वस्तु लिछमा की जगह लक्ष्मी उर्फ वस्तु व लिछमा अलग अलग

है। वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान की जगह हनुमानाराम, मुन्शीराम की जगह मनीराम, भागवंती की भगवंती, लक्ष्मी उर्फ वस्तु लिछमा की जगह लक्ष्मी उर्फ वस्तु व लिछमा अलग अलग करवाना चाहते है। बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण/वादीगण ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादीगण/प्रार्थीगण के वादपत्र/प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण/प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान की जगह हनुमानाराम, मुन्शीराम की जगह मनीराम उर्फ मुन्शीराम, भागवंती की जगह भगवंती, लक्ष्मी उर्फ वस्तु लिछमा की जगह लक्ष्मी उर्फ वस्तु व लिछमा अलग अलग दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः वादीगण का वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि वादीगण की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम हनुमान की जगह हनुमानाराम, मुन्शीराम की जगह मनीराम उर्फ मुन्शीराम, भागवंती की जगह भगवंती, लक्ष्मी उर्फ वस्तु लिछमा की जगह लक्ष्मी उर्फ वस्तु व लिछमा अलग अलग नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)